झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) बाह्य–61 / 2011 ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

श्री सूरजमन शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि०– डिहरी के पदस्थापन अवधि में चौसा शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 29.70 कि०मी० के बीच कराये गये मिट्टी कार्य में पायी गयी अनियमितता के आलोक में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 56 दिनांक– 16.01.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। श्री शर्मा का कैडर आवंटन झारखण्ड राज्य हो जाने के कारण बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा श्री शर्मा से संबंधित आरोप पत्र एवं अन्य अभिलेख इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री शर्मा के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये थे :–

(i) चौसा शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 6.775 कि०मी० में विभागीय उड़नदस्ता द्वारा प्राक्कलित मात्रानुसार मिट्टी कार्य एवं सत्यापन के दौरान सम्पादित मिट्टी कार्य की मात्र में भारी अन्तर पाया गया है। नहर के प्रथम खण्ड में प्राक्कलित मात्रा का 65% खण्ड–II में 51% एवं खण्ड–III में 51.64% एवं खण्ड–IV में 63% तथा खण्ड–V में 75% मात्र ही कार्य सम्पादित हुए जिसका कुल औसत 61% होता है इस प्रकार आप वास्तविक कार्य से अधिक कार्य के भुगतान हेतु प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।

(ii) वर्ष 2006 में उपरोक्त स्थल पर अवशेष मिट्टी कार्य पूरा कराने के समय वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 में कराये गये मिट्टी कार्य का पोस्ट लेवल एवं 2006 में प्रारम्भ किये गये कार्य के दौरान लिये गये प्री–लेवल मेजरमेंट में भी काफभ अन्तर पाया गया है। उड़नदस्ता के प्रतिवेदन के अनुसार दोनों मेजरमेंट में 1.05 कि०मी० पर 1.5 मीटर, 1950 कि०मी० पर 1.80 मीटर, 2.67 कि०मी० पर 1.58 मीटर, 3.15 कि०मी० पर 1.60 मीटर, 22.00 कि०मी० पर 1.45 मीटर का अन्तर पाया गया है।

कार्य योजना के प्रथम खण्ड (0.225 कि०मी० से 6.775 कि०मी०) में पोस्टर लेभेल एवं प्री–लेभेल का यह अन्तर पाया गया है।

(iii) जाँच के दौरान चौसा शाखा नहर के बांये तटबंध की स्थिति काफी जर्जर पायी गयी, तटबंध के स्लोप में बहुत कम मात्रा में मिट्टी का कार्य सम्पन्न कराया गया पाया गया। कई स्थानों पर सीपेज ओभर टॉपिंग एवं कटाव पायी गयी। इससे स्पष्ट है कि इस कार्य योजना में मिट्टी भराई कार्य में विशिष्टि का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. श्री शर्मा के इस राज्य में दिनांक– 30.11.2011 को अधीक्षण अभियंता के रूप में सेवानिवृत हो जाने के कारण बिहार सरकार के स्तर से गठित आरोप पत्र एवं बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री शर्मा को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक– 5253 दिनांक– 08.10.2015 द्वारा उनसे झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत् कारण पृच्छा किया गया।

4. श्री शर्मा के द्वारा अपने कारण पृच्छा में बताया गया कि उक्त प्रमण्डल में सहायक अभियंता के रूप में कुछ दिनों के लिए वे पदस्थापित थे एवं सहायक अभियंता के रूप में उनका कार्य क्षेत्र 6.775 कि०मी० से 12.80 कि०मी० तक था।

P.T.O

5. श्री शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा बताये गये कार्य क्षेत्र में मिट्टी कार्य में अलग–अलग स्थानों पर क्रमशः 0.20मी०, 0.07मी० एवं 0.838मी० की कमी पायी गयी है। स्पष्ट है कि श्री शर्मा द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णरूपेण गुणवत्तापूर्वक एवं पूरी मात्रा में कार्य नहीं कराया गया है।

अतः श्री शर्मा के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए पेंशन नियमावली के नियम– 139 के अन्तर्गत "5% पेंशन की कटौती 10 वर्षों " तक करने के दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक– 3020 दिनांक– 07.07.2017 द्वारा किया गया।

6. द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किये जाने हेतु श्री शर्मा को विभागीय पत्रांक– 4037 दिनांक– 20.09.2017, 4987 दिनांक–27.11.2017, 1668 दिनांक–03.04.2018, 5027 दिनांक–27.11.2018, द्वारा स्मारित भी किया गया। लगातार स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री शर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी श्री शर्मा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। इसके बावजूद भी श्री शर्मा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने के लिए इच्छुक नहीं हुए।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सूरजमन शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत, अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए प्रस्तावित निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) 5% पेंशन की कटौती अगले दस वर्षों तक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5029 राँची/दिनांक 11/9/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 22/नि०सिं०(डि०) 14–17/2007–539 दिनांक– 27.02.2015 के क्रम में /श्री सूरजमन शर्मा, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्राम– मखरा, पो०–कैथी, भाया–ओबरा, जिला–औरंगाबाद/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.9.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव